भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1736
जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है।
8 श्रावण, 1947 (शक)

इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में जागरूकता

1736. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार देश में केवल 18 प्रतिशत इंटरनेट उपयोगकर्ता ही ई-अपराधों की रिपोर्ट करना जानते हैं;
(ख) यदि हाँ, तो साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग व्यवस्था के बारे में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और सीमित डिजिटल साक्षरता वाले लोगों सहित सभी के लिए सुलभ बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने जागरूकता की कमी के कारणों की पहचान करने और मौजूदा रिपोर्टिंग व्यवस्था की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए अनुवर्ती सर्वेक्षणों सहित अन्य अध्ययन किए हैं या करने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य देश में सभी प्रयोक्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है। सरकार साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों के प्रति सचेत रहती है।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र साइबर अपराध सहित अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं। केंद्र सरकार, पुलिस कर्मियों के क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न परामर्शी निदेशों और योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों की पहलों को पूरक बनाती है।

<u>राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल</u>

- गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) की स्थापना की है।
- आई4सी ने साइबर अपराध की शिकायतें प्रस्तुत करने के लिये 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। उपयोगकर्ता ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, प्रासंगिक साक्ष्य अपलोड कर सकते हैं और अपने मामलों की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं।

- ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' शुरू किया गया है।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उनकी एफआईआर में रूपांतरण और बाद की कार्रवाई यानी आरोप पत्र दायर करने, गिरफ्तारी और शिकायतों का समाधान करने की कार्रवाई कानून के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जाती है।

<u>साइबर अपराध जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-</u>

- माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 27.10.2024 को "मन की बात" एपिसोड के दौरान डिजिटल गिरफ्तारी जैसी धोखाधड़ी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की।
- दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 और एनसीआरपी पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 19.12.2024 से एक कॉलर ट्यून अभियान शुरू किया है।
- केन्द्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, समाचार पत्रों में विज्ञापन, महानगरों में घोषणाएं, जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग, प्रसार भारती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान, आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम आदि शामिल हैं।
- साइबर अपराध के बारे में और अधिक जागरूकता फैलाने के लिए केन्द्र सरकार ने कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं एसएमएस के माध्यम से संदेशों का प्रसार, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट यानी एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@साइबरदोस्त), फेसबुक (साइबरदोस्तआई4सी), इंस्टाग्राम (साइबरदोस्तआई4सी), टेलीग्राम (साइबरदोस्तआई4सी), एसएमएस अभियान, टीवी अभियान, रेडियो अभियान, स्कूल अभियान, सिनेमा हॉल में विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आईपीएल अभियान, कुंभ मेला 2025 के दौरान अभियान, कई माध्यमों में प्रचार के लिए माईगव को शामिल करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के सहयोग से साइबर सरंक्षा और सुरक्षा जागरूकता सप्ताह, किशोरों/छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल डिस्पले आदि आयोजित करना।

****